



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062022-236916
CG-DL-E-30062022-236916

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2815]
No. 2815]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/आषाढ़ 9, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASHADHA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

(आय-कर)

का.आ. 2958(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (47क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आभासी आस्तियां डिजिटल अधिसूचित करती हैं, जो आभासी डिजिटल आस्ति की परिभाषा से अपवर्जित होगी :

(i) दान कार्ड या वाउचर, जो एक ऐसा अभिलेख है जिससे माल या सेवाएं अथवा माल या सेवाओं पर छूट अभिप्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है;

(ii) मील बिंदु, पुरस्कार बिंदु या भक्ति कार्ड, जो पुरस्कार, इनाम, फायदा, भक्ति, प्रोत्साहन, रिबेट या प्रोन्नति कार्यक्रम के अधीन प्रत्यक्ष धनीय प्रतिफल के बिना दिया गया एक ऐसा अभिलेख है जिसे केवल माल या सेवाओं अथवा माल या सेवाओं पर छूट अभिप्राप्त करने के लिए प्रयुक्त या मोचित किया जा सकता है;

(iii) वैबसाइटों या मंचों या उपयोजन के लिए अभिदान ।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[अधिसूचना सं. 74 /2022/फा. सं. 370142/29/2022-टीपीएल(भाग-1)]

अंकित जैन, अवर सचिव